सर्वे
भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार: नई दिशाएं

अंक: 22 (वर्ष 2025)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

प्रकाशक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 भारत

प्रधान संपादक : श्रीमती सैंडिगपुई छकछुआक

© 2025 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

मूल्य : ₹ 50/-

ISSN : 0973-7588

अस्वीकरण : प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सलाहकार मंडल या संपादक मण्डल का इन से सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्राप्ति स्थान : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन,
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023 भारत

वेबसाइट : www.nhrc.nic.in

ई-मेल : adol.nhrc@nic.in,
adp-nhrc@gov.in

मानव अधिकार और नैतिकता : महात्मा गांधी का दृष्टिकोण

डॉ. शोभना राधाकृष्ण*

महात्मा गांधी सार्वभौमिक शांति और मानवता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वे विश्व इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत हैं। गांधीजी का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। विश्व के कई देशों में नेताओं ने उनके विचारों से प्रेरणा लेकर अपने समाजों में स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष किया।

गांधीजी का सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग था–जो न्याय, करुणा और समानता पर आधारित था।

गांधीजी का जीवन दृष्टिकोण बहुत समग्र था। उन्होंने जीवन के हर पहलू सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत और सार्वजनिक को एक सूत्र में जोड़ा। वे केवल राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक नहीं थे, बल्कि आर्थिक और आध्यात्मिक लोकतंत्र के भी प्रबल समर्थक थे। उनके स्वावलंबन, सादगी और टिकाऊ जीवन के विचार आज के पर्यावरण संरक्षण और हरित तकनीक के प्रयासों से गहराई से जुड़ते हैं। इसलिए उनका दर्शन आज भी उतना ही आवश्यक है जितना उनके समय में था।

गांधीजी के जीवन और संघर्षों से सीखना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना आज के समय में और भी जरूरी हो गया है, जब दुनिया के कई हिस्सों में हिंसक संघर्ष चल रहे हैं। इन संघर्षों ने मानवता को गहराई से प्रभावित किया है और विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमारों, बच्चों, प्रवासियों और महिलाओं के अधिकारों को संकट में डाल दिया है।

*प्रमुख पदाधिकारी- गांधीवादी फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस

आज विश्व गांधीजी के अहिंसा और सार्वभौमिक शांति के विचारों से मानव अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है।

आज की परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में किसी एक देश का संघर्ष पूरे विश्व को प्रभावित करता है। स्थायी शांति का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है। हमें आपसी एकता का भाव विकसित करना चाहिए। यही रास्ता अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व की ओर ले जाता है।

गांधीजी स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और दासता, गरीबी, अस्पृश्यता तथा भेदभाव से मुक्ति के अधिकार के प्रबल समर्थक थे। यही सभी मानव अधिकारों का सार हैं। उन्होंने कहा था–

"जब मैं निराश होता हूँ, तो मुझे याद आता है कि इतिहास में सदा सत्य और प्रेम के मार्ग ने ही विजय प्राप्त की है। अत्याचारी और हत्यारे कुछ समय के लिए अजेय प्रतीत हो सकते हैं, पर अंततः वे हमेशा पराजित होते हैं।"[^1]

गांधीजी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को मानव अधिकार का मूल मानते थे। वे कहते थे, "मैंने अपनी अनपढ़ लेकिन बुद्धिमान माँ से सीखा कि सभी अधिकार, जिन्हें प्राप्त और सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वे अच्छे से निभाए गए कर्तव्यों से उत्पन्न होते हैं।"[^2]

गांधीजी ने स्पष्ट किया कि अधिकारों की बात तभी सार्थक होती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है।

1945 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों का वैश्विक ढाँचा तैयार किया, तो उसमें गांधी के सिद्धांत अहिंसा, सर्वोदय, स्वराज और ट्रस्टीशिप की गहरी छाप थी। भारत की प्रतिनिधि डॉ. हंसा मेहता और लक्ष्मी मेनन ने 1948 की "सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा" (UDHR) में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आज के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन, युद्ध, गरीबी, भेदभाव और घृणा भाषण नए रूप में मानव अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास एजेंडा (SDGs) गांधीजी के सिद्धांतों से मेल खाता है–आत्मनिर्भरता, ग्राम विकास और सामाजिक न्याय इन लक्ष्यों का हृदय हैं।

गांधीजी का विश्वास था कि सच्चा राष्ट्रवाद कभी घृणा, द्वेष या विभाजन पर नहीं टिका होता, बल्कि वह पूरे विश्व की उन्नति में योगदान देता है। उनके निर्माणात्मक

कार्यक्रमों का उद्देश्य अहिंसक तरीकों से समाज का निचले स्तर से पुनर्निर्माण था। इसमें ग्राम विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और समानता पर विशेष ध्यान दिया गया।

अपने पचास वर्षों के सार्वजनिक जीवन में एशिया, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में–गांधीजी ने उन लोगों को आवाज दी जो समाज में दबे-कुचले थे। उन्होंने सुधारकों, राजनीतिक विचारकों और मानव अधिकारों के रक्षकों को नई दिशा दी।

विश्व इतिहास में दो घटनाएँ विशेष रूप से नागरिक अधिकार आंदोलनों की दिशा तय करने वाली बनीं 1893 में दक्षिण अफ्रीका में और 1956 में अमेरिका में।

1893 की पिएटरमारित्ज़बर्ग घटना ने गांधीजी के जीवन की दिशा तय की। जब उन्हें नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन से उतारा गया, उन्होंने ठान लिया कि अन्याय का अहिंसक प्रतिकार ही उनका मार्ग होगा। यहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। उन्होंने कहा, "अत्याचार तब तक बना रहता है जब तक लोग उसे चुपचाप स्वीकार करते हैं।"[^3]

1956 में अलबामा के मॉन्टगोमरी में रोज़ा पार्क्स ने बस की सीट छोड़ने से इन्कार किया। इससे डॉ. मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में बस बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, जिसने बसों में नस्लीय अलगाव को असंवैधानिक करवा दिया। यह घटना अहिंसक विरोध की शक्ति का प्रतीक बनी।

गांधीजी का दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ संघर्ष और अमेरिका में रोज़ा पार्क्स का प्रतिरोध–दोनों की नैतिक भावना एक जैसी थी। दोनों ने समानता, गरिमा और न्याय के अधिकार की पुष्टि की और रंग, नस्ल या जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। गांधीजी के लिए किसी भी प्रकार के अन्याय को अस्वीकार करना सत्याग्रह का पहला सिद्धांत था।

गांधीजी के विचारों और तरीकों का प्रभाव विश्व के कई महान नेताओं पर पड़ा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, आर्चबिशप डिज़मंड टूटू, और सीज़र शावेज़ जैसे नेताओं ने गांधीजी के मार्ग को अपनाया। उनके अनुसार "निर्भयता प्रेम की पहली शर्त है। जो डरता है, वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकता।"[^4] उन्होंने यह दिखाया कि हिंसा नहीं, बल्कि अनुशासित अहिंसा ही न्याय और स्वतंत्रता की सबसे शक्तिशाली शक्ति है।

रेव. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, "यदि मानवता को आगे बढ़ना है, तो गांधी अनिवार्य हैं। ईसा मसीह ने दिशा और प्रेरणा दी, पर गांधी ने तरीका दिया।"[^5]

सीज़र शावेज़ ने भी अमेरिका में खेत मजदूरों के अधिकारों के लिए गांधीजी की अहिंसक पद्धति को अपनाया।

गांधीजी की प्रेरणा केवल आंदोलनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कला और साहित्य में भी फैली। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 'गांधी' (1982) ने आठ ऑस्कर पुरस्कार जीतकर उनके विचारों को विश्वभर में फैलाया। प्रसिद्ध इतिहासकार विल ड्युरांट ने कहा कि भारत में गांधी की प्रतिष्ठा बुद्ध और सेंट फ्रांसिस के समान है–उन्होंने उनकी कोमलता, आत्मत्याग और शत्रुओं के प्रति क्षमाशीलता की प्रशंसा की।

गांधीजी ने केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई ही नहीं, बल्कि देश में शांति, समानता और मानव अधिकारों के लिए भी निरंतर कार्य किया। उन्होंने जेल यातनाएँ झेलीं, पर उनके दृढ़ संकल्प ने भारत के नागरिक अधिकारों को नई पहचान दी।

1915 में भारत लौटने के बाद, गांधीजी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। यह भारत का पहला बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था जिसने किसानों के अधिकारों की रक्षा की और अन्यायपूर्ण कानूनों को रद्द करवाया।

गांधीजी समझते थे कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब गरीबी समाप्त हो, क्योंकि गरीबी स्वयं सबसे बड़ा मानव अधिकार उल्लंघन है। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि मानव अधिकार केवल पढ़े-लिखे या अमीरों के नहीं, बल्कि हर आम नागरिक के हैं।

गांधीजी का सत्याग्रह–अहिंसक प्रतिरोध और शांतिपूर्ण अवज्ञा–सत्य, प्रेम और आत्मबल पर आधारित था। वे मानते थे कि किसी के कष्ट के प्रति संवेदना ही मानवता की पहचान है, और अहिंसक साधनों से प्राप्त सामाजिक परिवर्तन अधिक स्थायी और मानवीय होता है। सत्याग्रह की यह विरासत आज भी दुनिया भर में अनेक आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। गांधीजी का सत्याग्रह आत्मबल और करुणा से उत्पन्न शक्ति थी। उनका कहना था, "मैं इस अधिकार बनाम शक्ति के युद्ध में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ।"[^6]

1931 में आइंस्टाइन ने नमक सत्याग्रह की सराहना करते हुए उन्हें लिखा "आपका आंदोलन दिखाता है कि नैतिक शक्ति भौतिक बल से अधिक स्थायी है।" गांधीजी ने उत्तर दिया कि वे केवल "सत्य की खोज में एक साधक" हैं।[^7]

गांधीजी की पर्यावरणीय नीति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित थी; वे विकास के नाम पर संसाधनों के अति-उपयोग और लालच से उत्पन्न अस्थिरता के

विरुद्ध चेतावनी देते थे। उन्होंने कहा था–"पृथ्वी, वायु, भूमि और जल हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले हैं–बल्कि यह सब हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। इसलिए इनका संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।"[^8] यह कथन आज के पर्यावरणीय अधिकारों और पीढ़ियों के बीच न्याय की चर्चा के लिए मार्गदर्शक है।

गांधीजी के सर्वोदय का केंद्र नारी समानता थी। वे कहते थे, "स्त्रियों के बिना कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता। उन्हें अधिकारों से नहीं, सम्मान से सशक्त बनाना होगा।"[^9] उनके लिए महिला स्वतंत्रता का अर्थ था आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता।

गांधीजी का विश्वास था कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा, संतुलित आहार और आत्मसंयम को स्वास्थ्य की नींव माना। उनका उद्देश्य था कि सबसे गरीब व्यक्ति भी सरल साधनों से स्वस्थ रह सके।

गांधीजी के सत्याग्रह में अद्वैत की भावना थी–यह विश्वास कि हर जीव में एक ही आत्मा है। इसी भावना ने विरोधी के प्रति सहानुभूति और संवाद की क्षमता को नैतिक और रणनीतिक शक्ति दी।
उनका मानना था कि निर्भयता, प्रेम और विरोध करने की क्षमता ही अहिंसक शक्ति के तीन स्तंभ हैं। वे कहते थे कि झूठ, अन्याय और अत्याचार तब तक कायम रहते हैं जब तक लोग उन्हें चुपचाप स्वीकार करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अन्याय के सामने "ना" कहने की हिम्मत जुटाता है, अत्याचार का आधार टूटने लगता है।

गांधीजी के प्रारंभिक अभियान समाज के उन वर्गों के लिए समर्पित थे जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता था–अछूत, शरणार्थी, अल्पसंख्यक, बेघर, बीमार और बुजुर्ग। उन्होंने इन सबसे वंचित लोगों के जीवन में गरिमा लौटाने का प्रयास किया।

उन्होंने मानव गरिमा पर आधारित एक नई दिशा दी। दक्षिण अफ्रीका और भारत में उनका पूरा जीवन गरीबों और पीड़ितों के पक्ष में रहा। गांधीजी के तरीकों ने यह सिद्ध किया कि कमजोर और दबे-कुचले लोग भी दृढ़ विश्वास के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं।

गांधीजी ने अपने जीवन को "सत्य की भक्ति और अहिंसा द्वारा सत्य की खोज" के रूप में देखा। सत्य, अहिंसा और साधनों की पवित्रता के प्रति उनकी निष्ठा आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।

रेजिनाल्ड आर. रेनॉल्ड्स, जो 1929 से 1931 तक साबरमती आश्रम में रहे,

गांधीजी की जीवनशक्ति, ईमानदारी, विनोद-बुद्धि और सत्य के प्रति तप की बहुत प्रशंसा करते हैं। गांधीजी का मौन, प्रार्थना, उपवास और चरखा उनके आत्मबल के स्रोत थे।

गांधीजी ने मानवता को तीन अमूल्य उपहार दिए–सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम और एकादश व्रत। ये केवल नियम नहीं थे, बल्कि आत्मशुद्धि और सेवा का मार्ग थे। सेवाग्राम आश्रम इसका जीवंत उदाहरण था, जहाँ जीवन का प्रत्येक पहलू सरलता और सत्य पर आधारित था।

दार्शनिक इवान इलिच ने सेवाग्राम देखकर लिखा–"यहाँ साधारण मनुष्य भी गरिमा के साथ जी सकता है।"[^11]

मैंने जब 62 देशों की यात्रा की, तो देखा कि अनेक देशों में आज भी गांधीजी के अनुयायी हैं–वे अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अन्याय, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ काम कर रहे हैं। कई लोग पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, साम्प्रदायिक सौहार्द्र और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने गांधीजी की तरह सादा और टिकाऊ जीवन अपनाया है।

सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने अपने विचार, वचन और कर्म में आत्मसंयम विकसित किया है। यही गांधीजी की सच्ची प्रेरणा है–आत्मपरिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन की ओर बढ़ना।

गांधीजी के लिए सत्य ही ईश्वर था। वे कहते थे, "सत्य ही मेरा भगवान है।"[^12] उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य "सत्य की भक्ति और अहिंसा द्वारा सत्य की खोज" था। इस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने विरोधियों तक के प्रति करुणा और सम्मान बनाए रखा।

इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने कहा था कि "जिस युग में गांधीजी जन्मे, उसी युग ने पश्चिम में हिटलर और रूस में स्टालिन को भी देखा; परंतु आने वाले समय में इतिहास पर गांधी का प्रभाव सबसे गहरा और स्थायी सिद्ध होगा। उन्होंने विनाश नहीं, पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया।" टॉयनबी ने गांधीजी को 'आधुनिक युग का सबसे महान व्यक्ति' कहा।[^13]

आज जब समाज हिंसा, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रहा है, गांधीजी का जीवन हमें संयम, मौन और सादगी का मार्ग दिखाता है। उन्होंने सिद्ध किया कि शांति निष्क्रिय नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है।

उनका चिंतन आधुनिक नागरिक शिक्षा, नीति निर्माण और सामाजिक नेतृत्व के लिए भी ठोस दिशा प्रदान करता है। नीति-निर्माण में यदि गांधीजी के सिद्धांत को स्थान दिया जाए, तो नागरिक ऐसे बनेंगे जो केवल अधिकार नहीं माँगते, बल्कि जिम्मेदारी निभाते हैं।

नीति निर्धारकों को भागीदारीपूर्ण शासन, विकेंद्रीकृत विकास और आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार तभी फलते हैं जब उनका सामाजिक और आर्थिक आधार मजबूत हो।

गांधीजी का विश्वास था कि जब नैतिक अनुशासन को व्यावहारिक सुधारों से जोड़ा जाता है, तो साधन और लक्ष्य में एकरूपता आती है–यही उनका स्थायी संदेश है।

गांधीजी का दर्शन हमें सिखाता है कि मानव अधिकार केवल दस्तावेज़ नहीं, बल्कि जीवन की नैतिक साधना हैं। अहिंसा, सत्य और करुणा से आलोकित यह मार्ग आज भी विश्व मानवता के लिए उतना ही आवश्यक है जितना सौ वर्ष पहले था।

यह हमें प्रेरित करती है कि हम मानव अधिकार, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें–उस दिशा में जो सत्य, अहिंसा और करुणा से आलोकित है।

संदर्भ:

[^1]: एम.के. गांधी, "यंग इंडिया," 19 जून 1924, नवजीवन पब्लिकेशन
[^2]: महात्मा गांधी, मई 1947, पत्र डॉ. जूलियन हक्सले, महानिदेशक, यूनेस्को को–मानव अधिकारों पर उनके विचारों के संदर्भ में
[^3]: महात्मा गांधी, "हरिजन", 15 मार्च 1940
[^4]: महात्मा गांधी, "हरिजन", 3 नवम्बर 1946
[^5]: मार्टिन लूथर किंग जूनियर, "स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम", 1958
[^6]: महात्मा गांधी, भाषण–दांडी यात्रा, 5 अप्रैल 1930
[^7]: ऐतिहासिक पत्राचार: आइंस्टीन और गांधी (1931)
[^8]: गांधीजी के विचारों के आधार पर UNEP रिपोर्टों में उद्धृत पर्यावरणीय सन्देश का परिशोधित रूप
[^9]: महात्मा गांधी, "हरिजन", 12 अक्टूबर 1934
[^11]: इवान इलिच, "टूल्स फॉर कनविवियलिटी", 1973
[^12]: महात्मा गांधी, "यंग इंडिया", 1921
[^13]: अर्नोल्ड टॉयनबी, "सिविलाइज़ेशन ऑन ट्रायल", 1948

*****

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

सरदार वल्लभभाई पटेल: एकता और समावेशन के शिल्पकार, मानव अधिकारों के प्रणेता

डॉ. शोभना राधाकृष्ण*

भारत के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के एक प्रमुख नेता, सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की राजनीतिक एकता को सुनिश्चित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 'भारत के लौह पुरुष' के रूप में प्रसिद्ध, वे अपनी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। "सरदार" उपाधि, जो उनके असाधारण संगठनात्मक कौशल को दर्शाती है। जनप्रिय व्यक्तित्व के धनी सरदार पटेल ने कहा था–"अपने सिद्धांतों की कीमत पर कुछ मत करो। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं शासन करने का अधिकार है।" उनकी विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

1917 में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद सरदार पटेल ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और गांधीजी के नैतिक साहस व अहिंसक संघर्ष की पद्धति को अपनाया। 1917 से 1928 के बीच उनके नगरपालिका कार्य, बाढ़ राहत और सत्याग्रह अभियानों ने उन्हें एक व्यावहारिक, स्पष्टवादी और गांधीजी के विश्वस्त सहयोगी के रूप में स्थापित किया।

सरदार पटेल की नेतृत्व शैली व्यावहारिक स्पष्टता, साहस, सत्यनिष्ठा और संगठनात्मक दक्षता पर आधारित थी। वे अमूर्त सिद्धांतों की बजाय ठोस कार्यों में विश्वास रखते थे और कठिन परिस्थितियों में भी सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे। उन्होंने

*प्रमुख पदाधिकारी - गाँधीवादी फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस

सरदार वल्लभभाई पटेल: एकता और समावेशन के शिल्पकार, मानव अधिकारों के प्रणेता

डॉ. शोभना राधाकृष्ण*

भारत के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के एक प्रमुख नेता, सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की राजनीतिक एकता को सुनिश्चित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 'भारत के लौह पुरुष' के रूप में प्रसिद्ध, वे अपनी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। "सरदार" उपाधि, जो उनके असाधारण संगठनात्मक कौशल को दर्शाती है। जनप्रिय व्यक्तित्व के धनी सरदार पटेल ने कहा था–"अपने सिद्धांतों की कीमत पर कुछ मत करो। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं शासन करने का अधिकार है।" उनकी विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

1917 में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद सरदार पटेल ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और गांधीजी के नैतिक साहस व अहिंसक संघर्ष की पद्धति को अपनाया। 1917 से 1928 के बीच उनके नगरपालिका कार्य, बाढ़ राहत और सत्याग्रह अभियानों ने उन्हें एक व्यावहारिक, स्पष्टवादी और गांधीजी के विश्वस्त सहयोगी के रूप में स्थापित किया।

सरदार पटेल की नेतृत्व शैली व्यावहारिक स्पष्टता, साहस, सत्यनिष्ठा और संगठनात्मक दक्षता पर आधारित थी। वे अमूर्त सिद्धांतों की बजाय ठोस कार्यों में विश्वास रखते थे और कठिन परिस्थितियों में भी सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे। उन्होंने

*प्रमुख पदाधिकारी - गांधीवादी फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस

अनुशासित टीमें बनाईं, जन अभियानों का सफल समन्वय किया, और स्थानीय प्रयासों को राष्ट्रीय आंदोलनों में बदलने की क्षमता दिखाई। उनकी बातचीत की शैली में अनुनय और दृढ़ता का संतुलन था, जिससे वे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। वे जमीनी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय नेताओं दोनों के साथ सहज संवाद करते थे, और उनकी देहाती हास्ययुक्त, सीधी भाषा ने उन्हें जनप्रिय और प्रभावशाली वक्ता बनाया। इन गुणों ने उन्हें ऐसा नेता बनाया जो नैतिक नेतृत्व को प्रशासनिक यथार्थवाद से जोड़ने में सक्षम था।

सरदार पटेल को उनके राजनीतिक कार्यों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने गांधीजी और अन्य नेताओं के साथ लंबा समय बिताया, जिससे उनके विचार और साझेदारी और भी मजबूत हुई। उन्होंने अनुशासित जन आंदोलन और संगठित प्रयासों को राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम माना। 1931 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वे पार्टी के प्रमुख संगठक के रूप में उभरे और चुनावी रणनीति व संगठनात्मक ढांचे को मजबूती दी। उनकी अनुशासनप्रियता और यथार्थवादी दृष्टिकोण ने उन्हें कांग्रेस का अपरिहार्य प्रशासक बना दिया। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में सांप्रदायिक एकता, सामाजिक सुधार और किसान सशक्तिकरण प्रमुख थे। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सामाजिक-आर्थिक सुधार का साधन माना, जहाँ नैतिकता को व्यावहारिकता से जोड़ा गया।

1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसे सरदार पटेल ने राज्य मंत्री के रूप में अपना केंद्रीय मिशन बनाया। उन्होंने कूटनीति, दबाव और बल की संभावना को मिलाकर एक रणनीति विकसित की, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे विषयों पर विलय सुनिश्चित करना शामिल था। उन्होंने बातचीत, देशभक्ति की अपील और प्रगतिशील राजाओं के उदाहरणों से शासकों को प्रेरित किया, जबकि प्रतिरोध करने वालों पर प्रशासनिक दबाव डाला और सहयोगियों के सम्मान को बनाए रखा। वी.पी. मेनन के साथ मिलकर उन्होंने योजनाबद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की और एकता को सुरक्षा व प्रगति का आधार बताते हुए इसे पारस्परिक हित का रूप दिया।

सरदार पटेल के नेतृत्व की प्रमुख घटनाएँ उनके रणनीतिक कौशल और दृढ़ प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। जूनागढ़ में नवाब के पाकिस्तान में विलय के प्रयास के विरुद्ध उन्होंने जनमत और प्रशासनिक दबाव का समन्वय कर भारत में विलय सुनिश्चित किया। हैदराबाद में निज़ाम और रज़ाकारों की हिंसा के बीच उन्होंने बातचीत और सैन्य हस्तक्षेप (ऑपरेशन पोलो) के संतुलन से सीमित रक्तपात के साथ एकीकरण

किया। कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने भावुकता से परे जाकर सुरक्षा और प्रशासनिक यथार्थ पर आधारित समाधान को प्राथमिकता दी। इन निर्णयों ने विखंडन को रोका, शांति बनाए रखी, और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

सरदार पटेल ने सिविल सेवाओं को भारत की राष्ट्रीय एकता और सुशासन के लिए अनिवार्य माना। उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन की आलोचना के बावजूद यह स्वीकार किया कि प्रशिक्षित अधिकारी नए राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को "स्टील फ्रेम" कहा, जो भारतीय शासन की रीढ़ बनेंगी, और सत्यनिष्ठा, निष्ठा व प्रशासनिक क्षमता के उच्च मानकों पर बल दिया। उनका सिविल सेवाओं से संबंध पारस्परिक अपेक्षाओं पर आधारित था–वे राजनीतिक हस्तक्षेप से अधिकारियों की रक्षा करते थे, लेकिन उन्हें कठोर सार्वजनिक सेवा नैतिकता के लिए उत्तरदायी भी ठहराते थे। योग्यता, अनुशासन और संस्थागत सम्मान पर उनके जोर ने नवजात गणराज्य को स्थायित्व प्रदान किया।

स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल का आर्थिक दृष्टिकोण पुनर्निर्माण, उत्पादन वृद्धि और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक शक्ति से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण संगठनों और संसाधनों के विस्तार, उद्योग व व्यापार के संगठन द्वारा आयात निर्भरता घटाने, बचत को प्रोत्साहित कर पूंजी को विकास परियोजनाओं में लगाने, और सरकार, श्रम व उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को कार्यान्वयन का साधन मानते हुए शक्ति के दुरुपयोग के प्रति सावधानी बरतने की चेतावनी दी। उनका आर्थिक दृष्टिकोण व्यावहारिक, देशभक्तिपूर्ण और समावेशी था, जो राजनीतिक स्वतंत्रता को भौतिक प्रगति से जोड़ता है।

सरदार पटेल की राष्ट्रीयता की अवधारणा समावेशन और मानव अधिकारों पर आधारित थी, जिसमें जाति, पंथ या पद के आधार पर नागरिकता में भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा का समर्थन किया, और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया। उनका दृष्टिकोण लोकतंत्र में सबसे कमजोर की रक्षा, सभी के लिए अवसर और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। सांप्रदायिकता के विरुद्ध उनके दृढ़ नेतृत्व और कानून आधारित नीतियों ने सामाजिक न्याय को सुदृढ़ किया और लाखों नागरिकों को पहली बार स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की।

सरदार पटेल ने संघर्ष समाधान में बातचीत, अनुनय, जन संगठन और आवश्यकता पड़ने पर बल के चयनात्मक उपयोग का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। वे दिलों और दिमागों को जीतने में विश्वास रखते थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई से नहीं हिचकिचाते थे। रियासतों के विलय के बाद उन्होंने पूर्व शासकों को गरिमा, प्रिवी पर्स और संवैधानिक भूमिकाएं देकर संस्थागत समावेश को सहज बनाया। संकटों के बाद सुलह की उनकी नीति में जवाबदेही के साथ उदारता शामिल थी, जिसमें उन्होंने विरोधियों को बहिष्कृत करने की बजाय उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया में शामिल कर नागरिक जीवन की शीघ्र बहाली को प्राथमिकता दी।

सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा संबोधित मानव अधिकार मुद्दे

नागरिक और राजनीतिक अधिकार: सरदार वल्लभभाई पटेल ने कानून के शासन, समान नागरिकता और नागरिक स्वतंत्रता की दृढ़ता से वकालत की। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भाषण और संघ की स्वतंत्रता, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया, और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसी संवैधानिक गारंटियों के निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि भारत के नए एकीकृत क्षेत्र समान संवैधानिक मानदंडों के अंतर्गत शासित हों, जिससे नागरिक अधिकार किसी स्थान या शासक की इच्छा पर निर्भर न रहें।

अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा: सरदार पटेल का मानना था कि सांप्रदायिक भिन्नताएं नागरिकता या राजनीतिक अधिकारों का आधार नहीं बननी चाहिए। उन्होंने धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का समर्थन किया और ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को विकसित करने में योगदान दिया जो उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कानूनी संरक्षण प्रदान करें। रियासतों के एकीकरण के दौरान भी उन्होंने समावेशन को प्राथमिकता दी, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली।

सुरक्षा और हिंसा से सुरक्षा का अधिकार: विभाजन और राज्य एकीकरण के समय उत्पन्न संकटों में सरदार पटेल ने नागरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को सर्वोपरि माना। हैदराबाद में रज़ाकारों जैसी हिंसक मिलिशिया के खिलाफ उनकी निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा, जबरन धर्मांतरण और महिलाओं पर अत्याचार को रोकना था। उन्होंने कानूनी व्यवस्था को शीघ्र बहाल कर कमजोर वर्गों की रक्षा की और सामान्य नागरिक जीवन की पुनर्स्थापना सुनिश्चित की।

समानता और सामाजिक न्याय: पटेल ने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा ऐसे सामाजिक सुधारों का समर्थन किया जो वंचित वर्गों को अधिकार

दिलाने में सहायक थे। उन्होंने नागरिक सुधार, स्वच्छता, और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीतियाँ अपनाईं जिससे कमजोर समुदायों को बेहतर नगरपालिका सेवाएँ मिलीं। कानून के समक्ष समान व्यवहार की उनकी प्रतिबद्धता ने हाशिए पर पड़े समूहों को सामाजिक सम्मान दिलाया।

आर्थिक और श्रम अधिकार: पटेल का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक अवसर भी जरूरी हैं। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने, न्यायपूर्ण मजदूरी, और सरकार, उद्योग व श्रमिकों के सहयोग का समर्थन किया। उनके अनुसार, श्रमिकों को उचित वेतन और सम्मानजनक जीवन-स्थितियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा और गरिमामय कार्य राष्ट्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।

किसानों और ग्रामीण आबादी के अधिकार: पटेल ने लगान-विरोध, आपदा राहत और कृषि समर्थन के ज़रिए ग्रामीणों को शोषण से बचाने का प्रयास किया। उन्होंने किसानों को प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ जागरूक और निडर बनाया, जिससे उन्हें संपत्ति अधिकार, आजीविका सुरक्षा और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की रक्षा मिली।

प्रशासनिक न्याय और सिविल सेवा जवाबदेही: पटेल ने संस्थाओं को अधिकारों की रक्षा का माध्यम मानते हुए निष्पक्ष कानून-प्रवर्तन के लिए एक पेशेवर सिविल सेवा का समर्थन किया। उन्होंने ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने अधिकारियों को शक्ति के दुरुपयोग से सावधान किया और शासन में सहानुभूति, ईमानदारी और निष्पक्षता की संस्कृति पर बल दिया।

पुनः एकीकरण और अधिकार बहाली: रियासतों के एकीकरण में पटेल ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बहाली को प्राथमिकता दी। उन्होंने जनमत संग्रह, प्रशासनिक सुधार और कानूनी समावेशन के ज़रिए यह सुनिश्चित किया कि पूर्व रियासतों के नागरिकों को संपत्ति अधिकार, न्याय और संवैधानिक सुरक्षा मिले।

अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था का संतुलन: पटेल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक सुरक्षा के साथ संतुलित करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने माना कि स्वतंत्रता तभी प्रभावी है जब वह व्यवस्था द्वारा समर्थित हो, और यह व्यवस्था संविधानिक अधिकारों को कमजोर किए बिना कायम रहनी चाहिए। उनका दृष्टिकोण अत्याचार रोकने, कमजोरों को हिंसा से बचाने और लोकतांत्रिक वातावरण बनाए रखने की दिशा में था।

मानव अधिकार संरक्षण के लिए विरासत

पटेल की मानव अधिकार दृष्टि संविधान में अधिकारों की संस्थागत व्यवस्था और अनुशासित प्रशासन के ज़रिए उनके क्रियान्वयन में दिखती है। उन्होंने समानता, सुरक्षा और गरिमा जैसे मूल्यों को नीतियों और शासन में रूपांतरित किया, जिससे स्वतंत्रता के संक्रमण काल में लाखों लोगों की रक्षा हुई और समावेशिता भारतीय गणराज्य की ठोस नींव बनी।

सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत मानव अधिकारों की रक्षा और संस्थागत स्थायित्व पर केंद्रित है। उन्होंने नैतिक मूल्यों को प्रशासनिक दक्षता से जोड़ा, ऐसी संस्थाएँ बनाई जो व्यक्तियों से अधिक टिकाऊ हों, और नीति निर्माण में जमीनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व ने अधिकारों की रक्षा करते हुए एकता को बढ़ावा दिया, और कानून के माध्यम से विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित की। गांधीवादी नैतिकता और व्यावहारिक राजनीति के उनके संतुलन ने सार्वजनिक जीवन में मानव अधिकार आधारित सिद्धांतपूर्ण यथार्थवाद की नींव रखी।

सरदार पटेल की सादगी, साहस और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें एक सम्मानित नेता बनाया, जिन्होंने संकट के समय भारत की लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत किया। उनकी विनम्रता और व्यावहारिक बुद्धि ने मानव अधिकारों की रक्षा को शासन का मूल बनाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी राष्ट्र-निर्माण भूमिका की प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है, लेकिन उनका वास्तविक स्मारक एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ संस्थाएं, कानून और नेतृत्व मिलकर नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल भारत की राजनीतिक एकता और संवैधानिक लोकतंत्र में मानव अधिकारों के प्रमुख शिल्पकार और संरक्षक के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का उद्देश्य संस्थागत निर्माण, विविधता में एकता, और गरिमा की रक्षा होना चाहिए। उनके जीवन से आज के नेताओं को यह सीख मिलती है कि स्पष्ट सोच, साहसिक संवाद, संगठित कार्य और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उनका उदाहरण नागरिकों और सेवकों को ऐसी संस्थाएँ बनाने के लिए प्रेरित करता है जो सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय और एकता सुनिश्चित करें।

संदर्भ:

- देसाई, महादेव. लाइफ़ एंड वर्क ऑफ सरदार पटेल. नवजीवन पब्लिशिंग, 1950
- फिशर, लुईस. द लाइफ़ ऑफ महात्मा गांधी. हार्पर कॉलिन्स, 1951
- गांधी, एम. के. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी. खंड 76, प्रकाशन विभाग, 1969

- गुहा, रामचंद्र. इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. हार्पर कॉलिन्स, 2007
- मेनन, वी. पी. द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स. ओरिएंट लॉन्गमैन, 1956
- पटेल, वल्लभभाई. स्पीचेज़ एंड राइटिंग्स ऑफ सरदार वल्लभभाई पटेल. प्रकाशन विभाग, 1953
- गांधी, राजमोहन. पटेल: एक जीवन. नवजीवन प्रकाशन, 1990
- ऑस्टिन, ग्रानविल. भारतीय संविधान: राष्ट्र की आधारशिला. ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस, 1966
- दास, दुर्गा. सरदार पटेल का जीवनवृत्त. नवजीवन प्रकाशन, 1977

*****